मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **12/07/2019**

वर्ग : 1 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **22/07/2019** विभाग का नाम : **किसान कल्याण तथा कृषि विकास**

विषय : **भावान्तर भुगतान योजना ।**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : 3133) **श्रीमहेश परमार**

क्या **किसान कल्याण मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या पूर्ववर्ती सरकार ने भावान्तर भुगतान योजना में कृषकों को अंतर की राशि पर ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं किया है? यदि हाँ तो पूर्व सरकार की इस कमी को पूरा करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहे है? (ख) क्या NIC भोपाल द्वारा गणना पत्र की सूची प्रदर्शित होने के बाद भुगतान की कार्यवाही की जाती है? यदि हाँ, तो सूची प्रदर्शित होने में विलंब होने पर यदि भुगतान किसानों को नहीं हो पाता है तो इस समस्या के निराकरण के लिए क्या पूर्ववर्ती सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की? यदि हाँ, तो पूर्व सरकार की इस कमी को सुधारने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी देवें। (ग) क्या पूर्व सरकार द्वारा कृषकों के गलत पंजीयन नंबर अंकित होने के कारण फसल विक्रय किये जाने वाले कृषकों के भुगतान लंबित होने की समस्या के निराकरण होने के लिए अथवा पोर्टल बंद होने पर तकनीकि त्रुटि होने पर प्रविष्टि नहीं होने की दशा में यदि किसान भुगतान से वंचित रह जाता है तो इस समस्या के निराकरण के लिए कोई प्रावधान किया गया था? यदि नहीं किया गया था तो तो पूर्व सरकार की इस कमी को सुधारने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी देवें।

उत्तर :

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

कार्यालयीन ~~टीप~~ :-

क./~~भो.भु.यो./वि.स~~/3133/तारा/2019/4097 भोपाल, दिनांक 1 ~~जून~~ जुलाई 2019

प्रति

1. कलेक्टर, जिला – .... (समस्त)। कृपया विधानसभा प्रश्न कमांक 3133 तारांकित का उत्तर परिशिष्ट/जानकारी सहित आज ही भिजवाने का कष्ट करें।
2. उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, जिला– (समस्त)। कृपया विधानसभा प्रश्न कमांक 3133 तारांकित का उत्तर परिशिष्ट/जानकारी सहित आज ही भिजवाने का कष्ट करें।
3. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय – .... (समस्त)। की ओर। कृपया विधानसभा प्रश्न कमांक 3133 तारांकित का उत्तर परिशिष्ट/जानकारी सहित आज ही भिजवाने का कष्ट करें।
4. भारसाधक अधिकारी/सचिव/नोडल मंडी सचिव, कृषि उपज मंडी समिति .... (समस्त)। कृपया विधानसभा प्रश्न कमांक 3133 तारांकित का उत्तर परिशिष्ट/जानकारी सहित संभागीय कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। उत्तर की प्रतिलिपि बोर्ड मुख्यालय को न भेजी जावें।

01/7/19

उप संचालक (भो.भु.यो.)

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

Scanned by CamScanner